रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28012023-243279
SG-DL-E-28012023-243279

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2023/माघ 7, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 464
No. 34]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2023/MAGHA 7, 1944	[N. C. T. D. No. 464

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन और वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

F. No. 138/WFD/COT/18-19/dcfpm/18-25.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29(1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सुल्तानपुरी, नांगलोई के पास दिल्ली में रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)/रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 2.25 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करते हैं।

परियोजना का नाम और स्थान	वृक्षों की संख्या		उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण(वृक्षों की संख्या)
	प्रत्यारोपण हेतु	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)
सुल्तानपुरी, नांगलोई के पास दिल्ली में रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) / रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण हेतु।	9	9	90
योग	**9**	**9**	90

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

क्र.सं.	**प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान**	**लगाए जाने वाले पौधों की संख्या**	**अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि**	**वन प्रभाग में जमा कराई जाए**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 90 का प्रतिपूरक वृक्षारोपण (10x9=90 अर्थात वृक्षों को प्रत्यारोपण/काटे जाने वाले वृक्षो का दस गुना) प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देसी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ कामकान संख्या-एफ-1/81 के सामने पार्क, एमसीडी पार्क, सुल्तानपुरी (20 पौधे) और एनएचपी पार्क, सुल्तानपुरी, जलेबी चौक के पास, सुल्तानपुरी, दिल्ली में किया जाएगा।	90	05,13,000/-	वृक्षअधिकारी/ उप-वन संरक्षक (उत्तर)
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 9 वृक्षों का प्रत्यारोपण मकान संख्या-एफ-1/81 के सामने पार्क, एमसीडी पार्क, सुल्तानपुरी, दिल्ली में अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा।			

नियम एवं शर्तें

1. **उत्तरी दिल्ली नगर निगम (नॉर्थ एमसीडी),**जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है,कोसात वर्षोंकी अवधि के लिए पौधों के सम्पूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतुउपरोक्तानुसार05,13,000/-रुपये (पांच लाख तेरह हजार मात्र @ रु. 57000/- प्रति वृक्ष) की राशि अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी और यदि उपभोगी संस्थाद्वारा2, 3और 4 में उल्लिखितनियमों और शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस राशिकोजब्त कर लिया जाएगा और इस राशि को वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा ।

2. **उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षोंका प्रत्यारोपण शुरू करने से पहले पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें:-**
   a. दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में उपभोगी संस्था द्वारा संबंधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक को विस्तृत वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।
   b. उपभोगी संस्था द्वारा साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा।
   c. उपभोगी संस्था केद्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षो की कटाई/प्रत्यारोपण से पूर्व कोई लंबित मुकदमा या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय/अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो।
   d. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को कटाई/प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
   e. उपभोगी संस्था के द्वारा वनमंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।

3. **वृक्षों केप्रत्यारोपणके दौरान पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें:-**
   a. क्र.सं. 2 में शर्तों के अनुपालन होने के तुरंत बाद उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे तीन महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट सम्बंधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।
   b. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, 2020 में उल्लिखित सभी शर्तो का पालन किया जाएगा।
   c. उपभोगी संस्था प्रतिरोपित वृक्षों का न्यूनतम तीन वर्षो तक उसी प्रत्यारोपण एजेंसी के माध्यम से अनुरक्षण करेगी जिनके द्वारा प्रत्यारोपण किया गया था।
   d. उपभोगी संस्था द्वारा प्रत्यारोपण किए जाने वालेवृक्षों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक को वृक्षों के पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

e. यदि किसी वृक्ष में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है तो उसे तब तक नहीं काटा/प्रत्यारोपण किया जाएगा जब तक कि पक्षी उसे स्वतः छोड़ न दें।

f. उपभोगी संस्था द्वारा 9 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई/प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत एक अपराध होगा।

g. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।

h. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सम्बंधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक को भी दी जाएगी।

i. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के स्थल से लकड़ियों को को ले जाने से पूर्व सम्बंधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

j. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान में 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।

k. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

l. उपभोगी संस्था के द्वारा वन मंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।

m. उपभोगी संस्था के द्वारा अनुमोदित वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रस्तुत सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।

n. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वृक्षप्रत्यारोपण नीति 2020 की धारा 4 (6-बी) के अंतर्गत सभी प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन किया गया है और इसका सम्बंधित वृक्षअधिकारी/ उप-वन संरक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।

o. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्रतिरोपित वृक्षों के लिए जो 15 फीट ऊंचाई और कम से कम 6 इंच व्यास वाले स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों में जीवित नहीं रहपाते हैं, तो उन्हें 1:5 के अनुपात में लगाया जाएगा। आवश्यक अतिरिक्त भूमि उपभोगी संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी और वृक्षारोपण स्वयं की लागत पर किया जाएगा।

4. वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक द्वारा सफलतापूर्वक वृक्षारोपण और सुरक्षा जमा राशि जारी करने पर विचार करने के लिए आवश्यक शर्तें:-

a. उपरोक्त तालिका के अनुसार, देशी प्रजातियों के 90 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्थाद्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी।

b. 9 वृक्षो के प्रत्यारोपण/काटे जाने के बदले में 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 90 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और अग्रिम सात (7) वर्षों के लिए रखरखाव तथा उसके बाद उनका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर किया जाएगा।

c. यदि उपभोगी संस्था सफलतापूर्वक प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहती है। उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जोकि सम्बंधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है।

d. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकारकी स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

e. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सम्बंधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक को प्रस्तुत की जाएगी। प्रारूप की एक प्रति https://www.treeremoval.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है।

f. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो ।

g. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा।

h. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

5. यदि उपरोक्त में से कोई भी शर्त उपभोगी संस्था द्वारा पूरी नहीं की जाती है, तो संबंधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक द्वारा दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

6. 9 वृक्षो के प्रत्यारोपण के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के

उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, प्रधान सचिव (पर्यावरण और वन)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 25th January, 2023

F. No. 138/WFD/COT/18-19/dcfpm/18-25.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 2.25 hafor construction of Road Over Bridge (ROB) / Road Under Bridge (RUB)at Sultanpuri, Near Nangloi, Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Name of the Project	Number of trees		Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
	Transplantation	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)
Construction of Road Over Bridge (ROB)/Road Under Bridge (RUB) at Sultanpuri, Near Nangloi, Delhi.	9	9	90
Total	**9**	**9**	**90**

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

S. No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	Compensatory Plantation of 90 number of tree saplings (10x9=90, i.e., ten times the number of trees permitted for transplantation/felling of trees) consisting of species of Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, DesiKikarand Arjun along with other native species shall be carried out by User Agency	90	05,13,000/- /-	Tree Officer/Deputy Conservator of Forests (North)

	atPark Opp. H.No.F-1/81, MCD Park, Sultanpuri (20 tree saplings) and NHP Park, Sultanpuri, Near JalebiChowk, Sultanpuri, Delhi (70 tree saplings).			
(b)	Transplantation of 9numbers of trees which are standing on site shall be done by User Agency at Park Opp. H.No.F-1/81, MCD Park, SultanpuriDelhi with their own funds.			

TERMS AND CONDITIONS

1. **North Delhi Municipal Corporation (North MCD)** herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs.05,13,000**/- (**Five Lakh Thirteen Thousand Only**, i.e.,** /- @ Rs. 57000/- per tree) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven (7) years and the same shall be forfeited and utilized for plantation by the Forest Department if terms and conditions mentioned at 2, 3 & 4 are not followed by User Agency.

2. The conditions required to be fulfilled before starting transplantationof trees by User Agency:-

a. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency to concerned Tree Officer/Deputy Conservator of Forests in compliance with Section-12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

b. User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation.

c. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.

d. Before the removal of trees from the site is commenced, all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.

e. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in Forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

3. The conditions required to be fulfilled during the transplantationof trees:-

a. Transplantation of trees shall be initiated immediately after conditions in point no. 2 is satisfied and should be completed not later than three (03) months of such date, after which a completion report has to be submitted to theconcerned Tree Officer/Deputy Conservator of Forests. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.

b. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy, 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.

c. User Agency shall maintain the transplanted trees for minimum three years by engaging the same transplantation agency which has carried out the transplantation.

d. The progress report of transplantationshall be submitted to concerned Tree Officer/Deputy Conservator of Forests along with complete details of trees by the User Agency.

e. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled / transplanted till the same is abandoned by the birds.

f. Transplantation/felling of any tree apart from 9 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994.

g. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.

h. The lops& tops of the trees shall be sent/supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to concernedTree Officer/Deputy Conservator of Forests by User Agency.

i. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the concerned Tree Officer/Deputy Conservator of Forests by User Agency.

j. Transplantation of trees and transportation of forest produce arising there from to the public crematorium shall be completed within 90 days.

k. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

l. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

m. All activities as submitted under approved Tree Preservation Plan should be followed scrupulously.

n. It must be ensured that all provisions under section 4 (6-b) of Tree Transplantation Policy, 2020 have been followed and details of the same should be submitted to the Tree Officer/Deputy Conservator of Forests concerned.

o. User Agency must ensure that, for all transplanted trees that do not survive indigenous tree species with 15 feet height and at least 6 inch diameter is planted in 1:5 ratio. The excess land required should be provided by User Agency & plantation has to be done at own cost.

4. The conditions required to be fulfilled for considering successful plantation & release of Security Deposit by the Tree Officer/Deputy Conservator of Forests :-

a. 100% Compensatory Plantation of 90 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as mentioned on table above.

b. 90 tree saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of transplantation 9 numbers of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out there after by User Agency with their own funds.

c. If the User Agency fails to successfully raise compensatory plantation. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer/Deputy Conservator of Forests concerned (as deposits).

d. The land over which compensatory plantation/ Tree transplantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of the State Government.

e. User Agency shall maintain plantation journals as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Government of NCT of Delhi and a copy of the same shall be submitted to the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forestsat the end of every financial year. A copy of format is available in https://www.treeremoval.delhigovt.nic.in.

f. Land Owning agency shall ensure that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation/ transplantation.

g. The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site.

h. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

5. If any of the above condition is not fulfilled by the User Agency, concerned Tree Officer/Deputy Conservator of Forests shall initiate action as per section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.

6. Permission for transplantation of 9 numbers of tress is being granted to the User Agency at their own risk and without prejudice the claim(s) of any other person(s) who may be having any right(s) over the land or the trees.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

A.K. Singh, Principal Secy. (Environment And Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA